न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

ठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

करण सख्याः–1374/2020 दायर दिनांकः–24.11.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00338

मेश्वर पुत्र परसादी आयु 54 साल जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

————सायल

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज0

———गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –1.श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर अधिवक्ता सायल
2 पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय

दिनांक–05.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं0 207 रकवा 6 ऐयर, 208 रकवा 13 ऐयर, 210 रकवा 29 ऐयर, 211 रकवा 29 ऐयर, 254 रकवा 35 ऐयर कुल किता 5 कुल रकवा 1.12 है0 वाके ग्राम चक हिंगोट तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्राथी वहिस्सा 1/6 भाग, का रिकॉर्डेड काश्तकार व खातेदार है। तथा खसरा नं0 1117 रकवा 04 ऐयर, 1191 रकवा 08 ऐयर, 1309 रकवा 08 ऐयर, 1317 रकवा 04 ऐयर, 521 रकवा 05 ऐयर, 591 रकवा 05 ऐयर, 604 रकवा 05 ऐयर, 951 रकवा 07 ऐयर, 1573 ... ऐयर, 1574 रेवा 04 ऐयर कुल किता 10 कुल रकवा 0.64 है0 ग्राम ... तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें वहिस्सा प्रार्थी 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नं0 580 रकवा 02 ऐयर, 593 रकवा 06 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकवा ... है0 वहिस्सा 1/18 भाग का खातेदार काश्तकार है उक्त आराजीयात वाके ग्राम दापनालपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थी की कृषि भूमि ख0 नं0 437 रकवा 25 ऐयर ग्राम कजानीपुर राजस्व ॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज है, इसलिए प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व ॉर्ड जानकारी नहीं मिल पाने के कारण सही नहीं करवा सका।

प्रार्थी के कब्जाकाश्त स्वामित्व व स्वत्व की उक्त आराजीयात पर प्रार्थी अपने सानुसार स्वयं काबिजकाश्त है, जो प्रार्थी को अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त है।

मुताबिक हाल जमाबंदी में काश्तकार का नाम ल्होडे पुत्र परसादी जाति मीना स्सा 1/5 सा.देह खातेदार दर्ज है। यानि खातेदार के पिताजी का नाम जाति स्सा निवासी खसरा नंबरान रकवा एवं भूमि किस्म तो सही दर्ज है, परन्तु तेदार का नाम ल्होडे दर्ज है जो प्रार्थी के आवश्यक दस्तवेजों दर्ज नाम से अलग यानि रामश्वर के स्थान पर ल्होडे नाम दर्ज है जो गलत है प्रार्थी को इन दोनो मों से जाना व पहचाना जाता है, ल्होडे व रामश्वर दोनो ही नाम प्रार्थी के हैं, रिवारिक प्यार का नाम ल्होडे तथा दस्तावेजात का नाम रामेश्वर है विरासत का मान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम ल्होडे गलत खातेदारी में दर्ज हो गया, नसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थी के सभी सरकारी गैरसरकारी दस्तावेजात यथा पारिवारिक राशन कार्ड, ाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युतत कनेक्शन, बच्चों के शिक्षा संबंधी ागजात, निर्वाचन का प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड एवं स्वयं की टी.सी. व जाति प्रमाण त्र, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज रिकॉर्ड है, ाजस्व जमाबन्दी में ल्होडे प्राथी का नाम गलत दर्ज है, जिसके कारण प्रार्थी के च्चों के शिक्षा संबंधी आवश्यक दस्तावेज नही बन पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का अशुद्ध नाम ल्होडे के स्थान पर शुद्ध सही नाम रामेश्वर केया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थी को ल्होडे व रामेश्वर दोनों ही नामों से जाना जाता है, इसके अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है।

प्रार्थी सीधासादा ग्रामीण परवेश का व्यक्ति है, राजस्व रिकॉर्ड में नहीं समझते हैं, जिन्होने हल्का पटवारी से विरासत का नामान्तकरण खुलवाते समय प्रार्थी का नाम ल्होडे गलत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया, इसलिए प्रार्थी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में ल्होडे के स्थान पर रामेश्वर सही दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में ल्होडे के नाम ग्राम कजानीपुर, दानालपुर एवं ग्राम चक हिंगोट तहसील श्रीमहावीरजी के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का नाम ल्होडे नहीं होकर रामेश्वर है, की जॉच कराई गई तो जॉच में पाया गया कि रामेश्वर एवं ल्होडे एक ही व्यक्ति के नाम हैं पिता का नाम परसादी मीना है। इस नाम का व्यक्ति दूसरे इन ग्रामों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

। अतः लोहडे की बजाय रामेश्वर की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में कराई जाने
ोई आपत्ति नहीं है। जबाव/तहसीलदार श्रीमहावीरजी की रिपोर्ट शामिल
ी किया गया।

रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमहावीरजी के अनुसार ल्होडे के नाम ग्राम कजानीपुर, नपुर एवं ग्राम चक हिंगोट तहसील श्रीमहावीरजी के नाम खातेदारी में दर्ज है। का कथन है कि प्रार्थी का नाम ल्होडे नहीं होकर रामेश्वर है, की जॉच कराई तो जॉच में पाया गया कि रामेश्वर एवं ल्होडे एक ही व्यक्ति के नाम हैं पिता ाम परसादी मीना है। इस नाम का व्यक्ति दूसरे इन ग्रामों में नहीं है। अतः ड़े की बजाय रामेश्वर की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में कराई जाने पर कोई त्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 बन्दी 2074, खसरा नं0 207 रकवा 0.06 है0, 208 रकवा 0.12 है0, 210 रकवा है0, 211 रकवा 0.29 है0, 254 रकवा 0.35 है0, कुल किता 05 कुल रकवा 1. है0, जमाबन्दी संवत 2071–74, खसरा नं0 1117 रकवा 0.04 है0, 1191 रकवा है0, 1309 रकवा 0.08 है0, 1317 रकवा 0.06 है0, 521 रकवा 0.05 है0, 591 वा 0.05 है0 604 रकवा 0.05 है, 951 रकवा 0.07 है0 कुल किता 08 कुल रकवा 8 है0, जमाबन्दी संवत 2071–74 खसरा नं0 1573 रकवा 0.12 है0, 1574 रकवा 4 है0, कुल किता 02 कुल रकवा 0.16 है0, जमाबन्दी संवत् 2071–74 खसरा 580 रकवा 0.02 है0 593 रकवा 0.06 है0 कुल किता 02 कुल रकवा 0.08 है0, र्वाचन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, ानान्तरण प्रमाण पत्र, मिलान क्षेत्रफल अवधि 2046–66, नामान्तकरण पंजिका ख्या 29, 36, 352, 396 की प्रतियॉ पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार ीमहावीरजी उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार हसीलदार श्रीमहावीरजी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना त्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने ा निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार ीमहावीरजी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी के ार्थना पत्र में लोहडे की बजाय रामेश्वर की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में कराई जाने र कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली [illegible] रिकॉर्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 जमाबन्दी 2074, खसरा नं0 207 रकवा 0.06 है0, 208 रकवा 0.12 है0, 210 रकवा 0.29 है0, 211 रकवा 0.29 है0, 254 रकवा 0.35 है0, कुल किता 05 कुल रकवा 1.12 है0, ल्होडे पुत्र परसादी हिस्सा 1/6 जाति मीना सा. दानालपुर खातेदार, जमाबन्दी संवत 2071–74, खसरा नं0 1117 रकवा 0.04 है0, 1191 रकवा 0.08 है0, 1309 रकवा 0.08 है0, 1317 रकवा 0.06 है0, 521 रकवा 0.05 है0, 591 रकवा 0.05 है0 604 रकवा 0.05 है, 951 रकवा 0.07 है0 कुल किता 08 कुल रकवा 0.48 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पुत्र परसादी हिस्सा 1/5 जाति मीना सा.देह खातेदार, जमाबन्दी संवत
74 खसरा नं0 1573 रकवा 0.12 है0, 1574 रकवा 0.04 है0, कुल किता 02
कवा 0.16 है0 ल्होडे पुत्र परसादी हिस्सा 1/5 जाति मीना सा.देह खातेदार,
दी संवत् 2071–74 खसरा नं0 580 रकवा 0.02 है0 593 रकवा 0.06 है0
केता 02 कुल रकवा 0.08 है0 ल्होडे पुत्र परसादी हिस्सा 1/18 जाति मीना
खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। **जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर**
हैं कि जमावंदी सम्वत 2072–75, जमाबन्दी संवत 2071–74, जमाबन्दी संवत
-74, जमाबन्दी संवत 2071–74 **में प्रार्थीगण की खातेदारी में खाता संख्या 77,**
91, 220 में प्राथी का नाम ल्होडे के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रामेश्वर
ार्थीगण के हक में दुरूस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
स्वीकार किया जाता है तथा जमावंदी सम्वत 2072–75, जमाबन्दी संवत 2071–74,
न्दी संवत 2071–74, जमाबन्दी संवत 2071–74 **में प्रार्थी की खातेदारी में खाता**
77,219,391, 220 में प्राथी का स्वयं का नाम ल्होडे के स्थान पर रामेश्वर पुत्र परसादी
मीना निवासी दानालपुर किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का
करने हेतु पृथक से तहसीलदार श्रीमहावीरजी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/07/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested